# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/255/इंदौर/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल, दिनांक:- /05/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   **जिला इंदौर (म.प्र.)।**
2. **संयुक्त संचालक,**
   **नगर तथा ग्राम निवेश,**
   **जिला कार्यालय, इंदौर (म.प्र.)।**
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   **जिला पंचायत,**
   **जिला इंदौर (म.प्र.)।**
4. **आयुक्त,**
   **नगर पालिका निगम,**
   **जिला इंदौर (म.प्र.)।**

**विषय:-** इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत (ग्राम- कस्बा इंदौर (हुकुम चंद मिल) खसरा क्रमांक 190 कुल रकबा 17.956 हेक्टर में से 17.52 हेक्टर)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकाशन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश से उनके पत्र क्रमांक फा.क्र.55/2019/चार/एम.सी.सी/9190 भोपाल, दिनांक 16/04/2019 द्वारा अनुमति प्राप्त है ।

**संलग्न:-यथोपरि।**

**(राहुल जैन)**
**संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश**
**म.प्र. भोपाल**

पृ. क्रमांक 2670 /टीसी/255/इंदौर/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल, दिनांक:- 6 /05/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक 279/3337/2015/18-5 भोपाल दिनांक 05/02/2019 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

**(राहुल जैन)** 6/5/19
**संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश**
**म.प्र. भोपाल**

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

## सूचना

दिनांक:- 06/05/2019

क्रमांक 6267/टीसी/255/इंदौर/उपां/नग्रानि/2015 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा औद्योगिक से वाणिज्यिक उपांतरण हेतु यह सूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इंदौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

| क्रं | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग एवं रकबा हेक्टर में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | कस्बा इंदौर | 190 | 17.956 हेक्टर में से 17.52 हेक्टर | औद्योगिक | वाणिज्यिक- 10.768<br>आवासीय- 06.752 |
| | | योग:- | 17.52 हेक्टर | | |

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल